

मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर, 1999 (असहस्रक 4, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्: क्लरिफिकेट सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, रसांत सिंह, सदस्य, गुना जिले के मकसूदनगढ़ निवासी एक पंच द्वारा तहसील कार्यालय में आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, इन्दौर के अन्नपूर्णा रोड पर इमशान घाट की आरक्षित भूमि पर अवैध निर्माण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, पर्यटन विकास निगम के भोंपाल स्थित होटल प्रभारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. वर्ष 1989-90 के आधिकारों के विवरण का उपस्थापन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, वर्ष 1989-90 के आधिकारों के विवरण का उपस्थापन करेंगे.

निर्धारित
समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घण्टा
(शेष
20 मि.)

(1) श्री अजय मुशरान, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि "मध्यप्रदेश जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 36 सन् 1999) पर विचार किया जाय"- चर्चा का पुनर्ग्रहण.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घण्टे

(2) श्री नंद कुमार पटेल, गृह मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम तथा नगर रक्षा समिति विधेयक, 1999 (क्रमांक 38 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घण्टा

(3) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 39 सन् 1999) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. संकल्प

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

3 घण्टे

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को परोक्षता में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय".

भोपाल :
दिनांक : 24 नवम्बर, 1999

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.